खेल एवं युवा कार्यक्रम के क्षेत्र में
भारतीय गणतंत्र की सरकार के
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
तथा
मॉरिशियस गणतंत्र की सरकार के
युवा एवं खेल मंत्रालय
के बीच सहयोग पर
समझौता ज्ञापन

भारतीय गणतंत्र की सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा मॉरिशियस गणतंत्र की सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय (यहाँ से आगे एकाकी रूप से ' पक्ष ' तथा सामूहिक रूप से ' पक्षों ' के रूप में संदर्भित होगें) ।

खेल एवं युवा कार्यक्रम के क्षेत्रों में वर्तमान द्विपक्षीय मैत्रिक तथा सहकारी संबंधों को बढ़ाना तथा मजबूत करना चाहते है ।

पारस्परिक लाभ हेतु खिलाड़ियों तथा संबंधित व्यक्तियों तथा युवाओं पर केंद्रित कार्यक्रमों के आदान-प्रदान से अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित एवं विकसित करने की इच्छा करते हुए,

निम्नलिखित समझौते पर पहुँचे है :

अनुच्छेद I
सामान्य उद्देश्य

समझौता ज्ञापन, परस्पर आदान-प्रदान एवं पारस्परिक लाभ के आधार पर दोनों पक्षों के मध्य खेल अनुसंधान, विकास एवं उत्कृष्टता और युवा मामलों में सहयोग हेतु आवश्यक ढ़ांचा उपलब्ध करायेगा ।

अनुच्छेद II
सहयोग के क्षेत्र

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, दोनों पक्ष खेल एवं युवा कार्यक्रमों में निम्नलिखित सहयोग क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यक्रमों, अनुभवों, कौशल, तकनीको, जानकारियों, दस्तावेजों तथा ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित एवं बढ़ावा देंगे ।

क) हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, एवं बैडमिंटन समेत विभिन्न खेल विधाओं में युवा/कनिष्ठ खेल टीमों का आदान-प्रदान ।

ख) पदधारियों का आदान-प्रदान ।

ग) खेल विज्ञान में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान ।

घ) तकनीक, अवसंरचना, डोपिंग, खेलों से संबधित जानकारी, उनके प्रलेखीकरण कार्यक्रम के क्षेत्रों में आदान-प्रदान तथा प्रशिक्षण ।

ङ.) युवा नीतियों, युवा विकास कार्यक्रमों तथा युवा संगठनों के साथ परीचित होने हेतु युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम ।

च) इस समझौता ज्ञापन के ढांचे के अंतर्गत परस्पर फायदे के लिए सहमत सभी अन्य क्षेत्र एवं आवश्यक समझे जाने वाले मामले ।

अनुच्छेद III
सहयोग के प्रकार

इस एम ओ यू के ढांचे के अंतर्गत सहयोग में सम्मिलित होंगे ।

क) हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल तथा बैडमिंटन समेत विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों, अधिकारियों, प्रशिक्षकों तथा टीमों का आदान-प्रदान ।

ख) खेल कार्यक्रमों के विकास हेतु सामग्री का आदान-प्रदान ।

ग) खेल विज्ञान तथा अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग ।

घ) बैठकों, सम्मेलनों तथा परिसम्मेलनों द्वारा मेल जोल ।

ङ.) खेल दस्तावेजों एवं साहित्य का आदान प्रदान । एवं

च) युवा संगठनों तथा युवा विकास कार्यक्रमों से परिचित होने हेतु 10-20 युवाओं का युवा शिष्ट मंडल तथा युवा संगठनों के प्रतिनिधियों का 5-7 दिनों की अवधि हेतु आदान-प्रदान ।

अनुच्छेद IV
वित्त पोषण

खेल प्रतिनिधि मंडलों, टीम, प्रशिक्षकों, अधिकारियों तथा युवा शिष्ट मंडलों का आदान प्रदान दोनों पक्षों द्वारा सहमत एक वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार होगा । मेज़बान पक्ष के क्षेत्र में आऐ हुऐ भ्रमणकारी शिष्ट मंडलों/टीमों के आवास, निर्वाह, आंतरिक परिवहन का व्यय मेज़बान पक्ष ही वहन करेगा । मेज़बान पक्ष द्वारा निर्धारित स्थान से आने-जाने की हवाई टिकटों का व्यय भ्रमणकारी पक्ष वहन करेगा । यदि किसी एक पक्ष के हित के लिए यात्रा की जाती है तो, वही पक्ष व्यय का वहन करेगा ।

अनुच्छेद V
कार्यान्वन

दोनो पक्ष बैठकों, डाक तथा अन्य साधनों द्वारा इस एम ओ यू के ढांचे के अतंर्गत कार्यक्रमों के कार्यान्वन तथा विकास पर सहमत होगें । प्रत्येक पक्ष अपने कार्यक्रमों के भागों के कार्यान्वन हेतु समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा । दोनो पक्ष कार्यक्रमों पर कार्यान्वन से पूर्व वर्ष के अंतिम तिमाही में हस्ताक्षर करेंगें ।

अनुच्छेद VI
संशोधन

इस एम ओ यू में पारस्परिक लिखित सम्मति द्वारा किसी भी समय संशोधन किया जा सकता है ।

अनुच्छेद VII
विवाद समाधान

इस एम ओ यू के निर्वचन या उपयोजन के संबंध में उठे किसी भी विवाद को दोनों पक्षों द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से मंत्रणा या वार्ता द्वारा सुलझाया जाएगा ।

अनुच्छेद VIII
प्रभाव में आना, वैद्यता और, पर्यवसान

यह एम ओ यू हस्ताक्षर की दिनांक से लागू होगा तथा पर्यवसान होने तक वैध रहेगा । कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को इस एम ओ यू के पर्यवसान की इच्छा से छह माह का नोटिस देकर किसी भी समय इस एम ओ यू का पर्यवसान कर सकता है । इस एम ओ यू की वैद्यता के समय में आरंभ कार्यक्रम पूरे होने तक इसके प्रावधानों द्वारा विनियमित होंगे ।

दिनांक 7 फरवरी, 2012 को नई दिल्ली में, दो मूल प्रतियों, अंग्रेजी और हिंदी में, दोनों ही प्रतियाँ विश्वसनीय तथा वैद्य है । तथापि निर्वचन से संबंधित किसी शंका में, अंग्रेजी प्रति ही अभिमानी होगी ।

(श्रीमती प्रनीत कौर) विदेश राज्य मंत्री	(डा० अरविन बुल्लेल्ल) विदेश, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री
भारतीय गणतंत्र की सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की तरफ से	मॉरिशियस गणतंत्र की सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय की तरफ से